प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्यावन '

प्रश्न सं. [क्र. 6248]

[31/3/2016]

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक/बी–6/1–3/उप./संशो./पार्ट/171 भोपाल, दिनांक 04/02/2016

–:: **आदेश** ::–

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मंडियो मे अधिसूचित फल एवं सब्जी विपणन के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियो मे लागू "फल–सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन् 2000" मे संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/02/2016 तक उपविधि सन् 2000 की कंडिका 5 की उप कंडिका 4 में संशोधन किया जाकर अनिवार्य रूप से स्थापित करे अर्थात् :–

कंडिका (5) की उप कंडिका (4) मे शब्द "विक्रय मूल्य का 7 प्रतिशत" के स्थान पर "विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत" स्थापित किया जाता है।

विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा "फल सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन 2000" में उपरोक्तानुसार संशोधन करने मे असफल रहने की स्थिति में "फल–सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन 2000" के उक्त संशोधन म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 01/03/2016 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

17

क्रमांक/बी–6/1–3/उप./संशो./पार्ट/172 भोपाल, दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 स्टाफ आफिसर,, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, भोपाल।

3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।

4. निज सचिव, सचिव, मान0 मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।

5 निज सचिव, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

6 अपर/संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय............ (समस्त) की ओर लेख है कि आपके संभाग की अधीनस्थ मंडियो मे उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु 15 दिवस मे समस्त मंडियो से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करे।

7 अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..............................जिला.............................. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8 गार्ड फाइल/कम्पयूटर शाखा/प्रांगण शाखा।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 6258 परिशिष्ट-"ब" जानकारी

फल सब्जी मण्डी की स्थिति :– (14.01.2016)

प्रदेश की 137 मंडी समितियों को फल सब्जी विपणन व्यवस्था के लिये अधिसूचित संभागवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	भोपाल संभाग	इन्दौर संभाग	उज्जैन संभाग	सागर संभाग	जबलपुर संभाग	रीवा संभाग	ग्वालियर संभाग
1	भोपाल	इन्दौर	उज्जैन	सागर	पांढूर्ना	सतना	लश्कर
2	सारंगपुर	बुरहानपुर	देवास	निवाड़ी	छिन्दवाड़ा	रीवा(करहिया)	शिवपुरी
3	हरदा	अलीराजपुर	मंदसौर	दमोह	सिहोरा	मैहर	भिण्ड
4	पिपरिया	खंडवा	रतलाम	देवरी	सौंसर	चाकघाट	मुरैना
5	होशगांबाद	बदनावर	शामगढ़	टीकमगढ़	लखनादौन	हनुमना	जौरा
6	सीहोर	धार	शाजापुर	पन्ना	जबलपुर	अनूपपुर	गुना
7	आष्टा	महू	शुजालपुर	छतरपुर	शहपुरा	सिंगरोली	अशोकनगर
8	माचलपुर	पंधाना	आलोट	गढ़ाकोटा	कटनी	बैकुंठपुर	श्योपुर
9	गैरतगंज	पेटलावाद	ताल		बालाघाट		पोरसा
10	गंजबासौदा	सांवेर	जावरा		वारासिवनी		आरोन
11	वैतूल	सनावद	कालापीपल		गोटेगांव		सबलगढ़
12	नरसिंहगढ़	धामनोद	मक्सी		बरघाट		भाण्डेर
13	ब्यावरा	बडवानी	आगर		मण्डला		बड़ौदा
14	मुलताई	सेन्धवा	मोमन बड़ोदिया		करेली		दतिया
15	जावर	खेतिया	बेरछा		बिछिया		डबरा
16		झाबुआ	नलखेड़ा		सिवनी		करैरा
17		थांदला	लोहार्दा		गाडरावाड़ा		मगरौनी
18		राजगढ़	खतेगांव				पोहरी
19		अंजड	महिदपुर				खनियाधाना
20		जोबट	तराना				कोलारस
21		कुक्षी	नागदा				बदरवास
22			उन्हेल				मुगांवली
23			खाचरौद				कैलारस
24			बड़नगर				मेहगांव
25			गरोठ				गोहद
26			भनपुरा				लहार
27			सीतामऊ				आलमपुर
28			पिपल्या				अम्बाह
29			सुवासरा				
30			सुसनेर				
31			सोयतकलां				
32			बड़ौद				
33			अकोदिया				
34			सैलाना				
35			मनासा				
36			नीमच				
37			जावद				
38			कन्नौद				
39			हाटपिपल्या				
40			सोनकच्छ				
	15	21	40	08	17	08	28

उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल